न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./03/2018/बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. मांगाराम पुत्र गोविन्दा 2. मोडाराम पुत्र गोविन्दा 3. खुमाराम पुत्र गोविन्दा जाति जाट निवासी मौखावा खुर्द तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।	बनाम	1.आसा पुत्र चन्दा जाति जाट निवासी मौखावा खुर्द तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर। 2.राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार गुड़ामालानी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी राजस्व वाद संख्या 27/2017 बअनवान आसा बनाम मांगा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2017।

उपस्थित

1. वकील श्री नारायण कुमावत अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेण्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 04.04.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 की खातेदारी भूमि मौजा मौखावा तहसील गुड़ामालानी खसरा संख्या 133 रकबा 84.04 बीघा, खसरा संख्या 136/1 रकबा 18 बीघा का है। रेस्पोडेंट/वादी के उक्त खेत के सेढा सेढ अपीलांट/प्रतिवादीगण का खेत आया हुआ है। रस्पोडेंट/वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदाजी नहीं करे इस आशय का वाद अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट द्वारा पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जबाबदावा, तनकीयात व साक्ष्य के निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही आलोच्य निर्णय पारित किया गया। अपीलांटगण के कब्जा काश्त में रेस्पोडेंट द्वारा जबरन हस्तक्षेप करने से अपीलांट द्वारा अधीनस्थ नेखमबंदी का आवेदन पेश किया गया। जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.02.2017 को स्वीकार किया गया। अपीलांट के खेत की नेखमबंदी नही

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

होने देने के आश्य से अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश कर आलोच्य निर्णय पारित करवाया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता व प्राकृतिक न्याय के सद्धान्तों का अनुसारण नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विधि के तथ्यों से परे निर्णय निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जबाबदावा, तनकीयात व साक्ष्य ही लोक अदालत कैम्प कौर्ट में दिनांक 01.06.2017 को उसी दिन बहस सुनी जाकर पत्रावली निर्णय व डिक्री जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुसरण नही कर अपने मनमाने तरीके से जल्दबाजी में यह निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया। अपीलांटगण के कब्जा काश्त में रेस्पोडेंट द्वारा जबरन हस्तक्षेप करने से अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में नेखमबंदी का आवेदन पेश किया गया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा संख्या 132, 136/2, 135 व 136/3 मौजा मौखावा खुर्द की नेखमबंदी का आवेदन दिनांक 13.02.2017 को स्वीकार किया गया। अपीलांट के खेत की नेखमबंदी नही होने देने के आश्य से अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश कर आलोच्य निर्णय पारित करवाया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता व प्राकृतिक न्याय के सद्धान्तों का अनुसारण नहीं किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांट द्वारा नेखमबंदी का एक आवेदन पेश किया गया, जो उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा खसरा संख्या 132, 136/2, 135 व 136/3 मौजा मौखावा खुर्द की नेखमबंदी का आवेदन दिनांक 13.02.2017 को स्वीकार किया गया। अपीलांट के नेखमबंदी करवाने में किसी प्रकार की रूकावट नहीं हो इसलिए न्यायहित में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अपीलांट के नेखमबंदी के आवेदन पर हुए आदेशों को मद्देनजर रखते अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 27/2017 बअनवान आसा बनाम

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

मांगा में पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.06.2017 की पालना एवं प्रभाव को इस निर्णय की दिनांक से तीन माह तक की अवधि के लिए स्थगित किया जाता है ताकि अपीलांट निर्णय की दिनांक से तीन माह की अनुमत अवधि में अपने खेत खसरा संख्या 132, 136/2, 135 व 136/3 मौजा मौखावा खुर्द की नेखमबंदी करवा सके। तीन माह की अवधि के अवसान पश्चात अपीलाधीन निर्णय स्वतः प्रभावी हो जायेगा।

4/4/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 04.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

4/4/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner